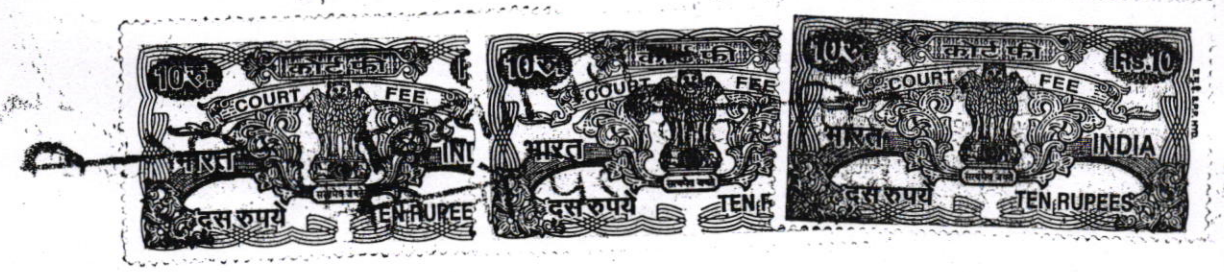

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

निगरानी प्रकरण कमांक– I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2018/0878 सन्–2018

कल्ली बाई बेवा भवानीदीन सिंह आयु करीब– 83 वर्ष

निवासी ग्राम अमारा तहसील पैलानी जिला बॉदा उ0 प्र0 – आवेदिका

बनाम

जारेन्द्र सिंह तनय रामनरेश सिंह ठाकुर निवासी रतौली पुरवा

(सरगरियन पुरवा) तहसील व जिला महोबा उ0 प्र0 – अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0भू0रा0सं0–1959

विषयः– निगरानी विरूद्ध श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय सागर के रा0प्र0क0– 53 अ–6×15–16 में पारित आदेश दिनांक– 06/12/2017 से परिवेदित होकर।

महोदय,

निगरानी के प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1– यह कि भूमि खसरा कमांक–883, 888, 825, 811,812, कुल किता–5 रकवा कमशः– 0.534हे0, 0.777हे0, 1.819हे0, 0.769हे., 1.108हे0 एकत्र रकवा 4.827हे0 स्थित मौजा प्रकाश बम्हौरी तहसील गौरिहार जिला छतरपुर म0प्र0 की भूमि आवेदिका के पति की स्वार्जित सम्पत्ति है। पति की मृत्यु के बाद अपीलाधीन भूमि का आवेदिका के नाम वारसाना नामान्तरण हुआ तथा राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी स्वत्व एवं इन्द्राज हुई। आवेदिका के पति भवानीदीन सिंह और आवेदिका के संसर्ग से कोई औलाद पैदानहीं हुई इस कारण आवेदिका अपीलाधीन भूमि की एकांकी स्वामिनी एवं आधिपत्यधारणी है।

2– यह कि आवेदिका ने अपीलाधीन भूममि का स्वामित्व एवं आधिपत्य कभी भी अनावेदक जारेन्द्र सिंह या अन्य किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया है। अनावेदक जारेन्द्र सिंह का अपीलाधीन भूमि पर कोई हक व हिस्सा व

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/878 **जिला** - छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20/02/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आलोक निगम उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में अभिलेख के अवलोकन के उपरांत यह पाया है कि आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अवधि वाह्य अपील पेश की गई थी जिसमें जानकारी का दिनांक 02.07.14 बताया गया है। जबकि उसके द्वारा वर्ष 2013-14 के खसरे की नकल 07.01.2014 को प्राप्त की गई है। उक्त कारण से उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विलंब माफ किए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन को असत्य माना है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उक्त निष्कर्ष अपने स्थान पर उचित एवं न्यायिक है। प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	